भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2846

(जिसका उत्तर सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

कंपनी कानून समिति (सीएलसी)

2846. श्री विनोद कुमार सोनकरः

श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में व्यापार करने में अधिक सुगमता को सुकर बनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए परिवर्तनों के संबंध में सरकार को सिफारिशें देने के लिए कंपनी कानून समिति (सीएलसी) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएलसी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने सीएलसी द्वारा सुझाए गए कंपनी अधिनियम, 2013 में अपेक्षित विधायी परिवर्तनों का मसौदा तैयार कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सीएलसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (छ): देश में कानून का पालन करने वाली कंपनियों को व्यापार करने में सुगमता प्रदान करके, स्टेकहोल्डरों के लिए बेहतर कारपोरेट अनुपालन को बढ़ावा देकर और देश में कारपोरेटों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले उभरते मुद्दों का समाधान करके देश में जीवन को आसान बनाने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों और मुद्दों की जांच करने और सरकार को सिफारिशें करने के लिए कंपनी विधि समिति (सीएलसी) का गठन किया गया है।

सीएलसी ने 21 मार्च, 2022 को सरकार को अपनी नवीनतम रिपोर्ट (2022) प्रस्तुत की है, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 में संशोधन के लिए विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं। ये सिफारिशें मोटे तौर पर (i) कानून का पालन करने वाली कंपनियों के लिए व्यापार करने में सुगमता को और बढ़ावा देने; (ii) अधिनियम की प्रचालनात्मक दक्षता को कारगर बनाने और उसमें सुधार करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मौजूदा विनियामक पद्धतियों को सुदृढ़ करना; (iii) तेजी से विकसित हो रहे कारपोरेट परिदृश्य और बदलती व्यावसायिक पद्धतियों के आलोक में नई अवधारणाओं को मान्यता देने; (iv) विसंगतियों और अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए प्रारूपण और स्पष्टीकरण संबंधी परिवर्तन करने से संबंधित हैं।

इस रिपोर्ट को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 में संशोधनों से संबंधित प्रस्तावों पर सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

*****